भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1390

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

दहेज के कारण होने वाली मौतें

1390. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज के कारण होने वाली मौतें और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला तथा कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं उनके विरुद्ध राज्य-वार पृथक-पृथक क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में राज्य सरकारों के लिए क्या परामर्श जारी किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-2013 के दौरान देहज हत्या और महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक। और अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग): गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 4 सितम्बर, 2009 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया था, जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिलाओं के विरूद्ध अपराध से निपटने के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को अपने साथ संबद्ध करने की संभवानाओं का पता लगाने का अनुरोध किया गया है और उनसे यह भी कहा गया है कि सभी पुलिस थानों को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अधीन नियुक्त अपने क्षेत्र के रक्षा अधिकारियों (प्रोटेक्शन आफिसर्स) का नाम एवं अन्य ब्यौरा प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और ' लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को शामिल करते हुए अपराध की रोकथाम, उस का पता लगाने, मामले दर्ज करने, उसकी जांच करने और अभियोजन की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। गृह मंत्रालय सिर्फ विभिन्न योजनाओं/परामर्शी पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयत्नों को बढ़ावा देता है।

*****

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1390
TO BE ANSWERED ON DECEMBER 02, 2014/AGRAHAYANA 11, 1936 (SAKA)

DOWRY DEATHS

†1390. SHRI CHANDRA PRAKASH JOSHI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there has been an increase in the cases of dowry deaths and domestic violence against women;

(b) if so, the details thereof and the total number of such cases reported, accused arrested, convicted and the action taken against them, separately during each of the last three years and the current year, Statewise; and

(c) the steps taken by the Government to stop such cases along with the advisories issued to the State Governments in this regard?

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI HARIBHAI PARTHIBHAI CHAUDHARY)

(a) and (b) As per data provided by the National Crime Records (NCRB), the State-wise details regarding dowry deaths and domestic violence against women for the years 2011 – 2013 is given in Annexure I & II respectively.

(c) The Ministry of Home Affairs had issued a detailed advisory on 4th September, 2009 to all the State Governments/Union Territory Administrations wherein all the States/UTs have been advised to explore the possibility of associating NGOs working in the area of combating crimes against women and also that all Police stations may be directed to display the name and other details of Protection Officers of the area appointed under the Domestic Violence Act, 2005. As per Seventh Schedule of the Constitution 'Police' and 'Public Order' are the State subjects, and as such, the primary responsibility of prevention detection, registration, investigation and prosecution of crimes, including crimes

.....2/-

against women pertaining to domestic violence, lies with the State Governments/Union Territory Administrations. The Ministry of Home Affairs only augments the efforts of States / UTs through various schemes / advisories.

****

अनुलग्नक-I

वर्ष 2011 से 2013 के दौरान दहेज मृत्यु के तहत पंजीकृत मामलों(सीआर), आरोप-पत्रित मामले(सीएस), दोषसिद्ध मामले(सीवी), गिरफ्तार व्यक्तियों(पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्ति(पीसीएस), दोषसिद्ध व्यक्तियों(पीसीवी), और दोषसिद्धि की दर

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011							2012							2013						
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीवीआर	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीवीआर	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीवीआर
1	आन्ध्र प्रदेश	599	522	56	1400	1240	265	13.3	504	532	55	1267	1391	146	11.1	492	448	52	1184	1104	126	11.5
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	2	0	0	-	0	1	0	0	1	0	-
3	असम	121	77	13	146	134	30	29.5	140	85	10	215	153	18	40.0	170	103	23	205	164	25	33.8
4	बिहार	1413	1454	163	3900	3309	323	20.8	1275	1349	164	3994	3741	314	30.2	1182	1066	149	2893	3436	308	25.8
5	छत्तीसगढ़	104	110	26	287	305	57	38.8	81	81	40	211	213	106	46.5	109	97	28	256	243	66	28.6
6	गोवा	1	2	0	2	6	0	-	0	1	0	0	2	0	-	0	1	1	1	1	2	50.0
7	गुजरात	30	26	0	62	58	0	-	21	22	0	38	38	0	-	29	29	1	67	71	2	3.8
8	हरियाणा	255	215	78	457	449	160	29.9	258	231	69	481	468	125	27.0	263	233	82	455	494	162	31.4
9	हिमाचल प्रदेश	4	3	0	8	8	0	-	2	2	0	4	4	0	-	0	0	0	0	0	0	-
10	जम्मू और कश्मीर	11	4	0	12	12	0	-	8	13	1	23	23	2	14.3	7	6	1	14	12	1	11.1
11	झारखंड	282	228	63	536	483	137	38.0	302	252	87	444	490	173	40.3	307	247	96	595	434	148	44.4
12	कर्नाटक	267	265	36	642	660	55	18.1	218	216	33	539	539	62	19.4	277	225	24	770	734	54	16.4
13	केरल	15	16	1	25	21	1	16.7	32	21	2	38	30	2	16.7	21	21	1	29	29	1	16.7
14	मध्य प्रदेश	811	797	332	2144	2155	910	40.4	743	762	188	2142	2146	536	32.9	776	753	220	2162	2135	590	32.5
15	महाराष्ट्र	339	359	33	1261	1276	85	15.3	329	297	32	1141	1129	85	16.9	320	328	17	1179	1246	47	8.1
16	मणिपुर	1	0	0	5	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
17	मेघालय	1	1	0	3	1	0	-	1	0	0	4	0	0	-	2	1	0	1	1	0	-
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	1	0	0	1	0	0	-
20	उड़ीसा	465	406	49	858	849	111	14.2	525	494	24	903	875	45	8.3	395	397	29	785	808	79	12.9
21	पंजाब	143	119	48	364	295	127	50.5	118	95	46	274	223	109	46.5	126	93	66	314	229	130	55.0
22	राजस्थान	514	380	105	673	673	186	39.0	478	357	95	631	629	196	40.4	453	349	97	581	577	144	44.1
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	-	1	2	0	9	4	0	-	0	2	2	0	5	6	50.0
24	तमिलनाडु	152	113	26	336	217	52	24.3	110	124	20	278	343	59	18.5	118	118	27	262	263	83	24.1
25	त्रिपुरा	30	37	5	57	46	16	50.0	37	27	5	87	49	8	22.7	29	36	3	77	87	3	25.0
26	उत्तर प्रदेश	2322	1892	1024	9795	6260	3514	56.6	2244	1785	619	9884	6236	1936	48.9	2335	1864	690	10405	6326	1967	48.9
27	उत्तराखंड	83	75	12	233	196	67	27.9	71	64	90	147	189	144	74.4	43	34	31	70	68	70	54.4
28	पश्चिम बंगाल	510	461	41	1118	1110	91	17.3	593	575	41	1345	1345	79	12.3	481	437	33	1284	1144	69	11.5
	कुल राज्य	**8473**	**7562**	**2111**	**24324**	**19763**	**6187**	**35.6**	**8092**	**7387**	**1621**	**24101**	**20260**	**4145**	**31.9**	**7936**	**6889**	**1673**	**23590**	**19612**	**4083**	**32.2**
29	अं.औरनि .द्वीपसमूह	0	1	0	0	1	0	-	2	1	0	3	3	0	-	1	1	0	2	1	0	-
30	चंडीगढ़	2	0	1	3	0	6	50.0	5	7	1	14	15	3	25.0	1	1	2	4	5	6	40.0
31	दादरा और नगर हवेली	0	1	0	0	1	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
32	दमण और द्वीव	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
33	दिल्ली संघ शासित	142	130	51	246	221	113	44.0	134	141	62	300	317	148	46.6	144	121	33	268	261	93	40.2
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-
35	पुडुचेरी	1	0	0	5	0	0	-	0	1	0	0	5	0	-	1	1	0	0	3	0	-
	कुल संघ शासित	**145**	**132**	**52**	**254**	**223**	**119**	**44.1**	**141**	**150**	**63**	**317**	**340**	**151**	**45.7**	**147**	**124**	**35**	**274**	**270**	**99**	**40.2**
	कुल अखिल भारत	**8618**	**7694**	**2163**	**24578**	**19986**	**6306**	**35.8**	**8233**	**7537**	**1684**	**24418**	**20600**	**4296**	**32.3**	**8083**	**7013**	**1708**	**23864**	**19882**	**4182**	**32.3**

स्रोत: भारत में अपराध "-" शून्य से भाग दर्शाता है। दोष सिद्धि दर= विचारण पूर्ण होने वाले मामलों में से दोषसिद्धि वाले मामलों का %।

नोट:- पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन दर्ज किए गए मामलों(सीआर) , आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलो(सीएस), दोषसिद्ध मामलों(सीवी), गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों(पीएआर), आरोप-पत्रित व्यक्तियों(पीएआर) और दोषसिद्ध व्यक्तियों(पीसीवी)की राज्य-वार संख्या

2011 (अनंतिम)

	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आन्ध्र प्रदेश	2235	1253	219	36	1928	277
2	अरुणाचल प्रदेश	18	8	0	16	8	0
3	असम	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
5	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	1	1	-	1	1	-
7	गुजरात	3266	2340	15	2	85	1
8	हरियाणा	314	165	0	500	480	0
9	हिमाचल प्रदेश	14	8	0	0	8	0
10	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनिय और इसके प्रावधान लागू नही हैं।					
11	झारखंड	391	323	41	750	749	79
12	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0
13	केरल	96	74	1	96	93	1
14	मध्य प्रदेश	2410					
15	महाराष्ट्र	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
16	मणिपुर	39	0	0	22	0	0
17	मेघालय	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	29	27	11	37	36	11
20	उड़ीसा	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
21	पंजाब	2	2	0	4	4	0
22	राजस्थान	39	18	0	23	22	0
23	सिक्किम	3	3	1	3	3	1
24	तमिलनाडु	3260	14	61	1	0	7
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
27	उत्तराखंड	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
28	पश्चिम बंगाल	1661	618	0	11	0	0
	कुल राज्य	**13778**	**4854**	**349**	**1502**	**3417**	**377**
29	अं.औरनि .द्वीपसमूह	19	13	0	26	14	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32	दमण और द्वीव	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	**19**	**13**	**0**	**26**	**14**	**0**
	कुल अखिल भारत	**13797**	**4867**	**349**	**1528**	**3431**	**377**

2012 (अनंतिम)

	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आन्ध्र प्रदेश	2150	1128	244	27	1787	323
2	अरुणाचल प्रदेश	26	20	2	26	20	2
3	असम	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
5	छत्तीसगढ़	1	1	0	1	1	0
6	गोवा	2	2	0	2	2	0
7	गुजरात	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
8	हरियाणा	12	12	0	19	19	0
9	हिमाचल प्रदेश	3	5	-	5	5	-
10	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनिय और इसके प्रावधान लागू नही हैं।					
11	झारखंड	552	324	54	625	623	108
12	कर्नाटक	4	0	0	3	2	0
13	केरल	117	97	4	109	146	4
14	मध्य प्रदेश	9536					
15	महाराष्ट्र	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
16	मणिपुर	42	2	0	47	2	0
17	मेघालय	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	8	7	2	8	7	2
20	उड़ीसा	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
21	पंजाब	3	2	0	4	1	0
22	राजस्थान	36	30	0	33	33	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	3838	9	14	3	0	11
25	त्रिपुरा	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
26	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
27	उत्तराखंड	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
28	पश्चिम बंगाल	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
	कुल राज्य	**16330**	**1639**	**320**	**912**	**2648**	**450**
29	अं.औरनि .द्वीपसमूह	21	69	4	228	227	4
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32	दमण और द्वीव	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	**21**	**69**	**4**	**228**	**227**	**4**
	कुल अखिल भारत	**16351**	**1708**	**324**	**1140**	**2875**	**454**

2013 (अनंतिम)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आन्ध्र प्रदेश	3758	1360	206	25	1902	520
2	अरुणाचल प्रदेश	90	64	6	72	58	4
3	असम	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
4	बिहार	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
5	छत्तीसगढ़	55	55	22	127	127	5
6	गोवा	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
8	हरियाणा	14	12	0	19	19	0
9	हिमाचल प्रदेश	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
10	जम्मू और कश्मीर	केन्द्रीय अधिनिय और इसके प्रावधान लागू नही हैं।					
11	झारखंड	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
12	कर्नाटक	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
13	केरल	142	126	0	152	190	0
14	मध्य प्रदेश	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
15	महाराष्ट्र	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
16	मणिपुर	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
17	मेघालय	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	27	21	4	38	33	7
20	उड़ीसा	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
21	पंजाब	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
22	राजस्थान	40	35	0	44	44	0
23	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
25	त्रिपुरा	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
26	उत्तर प्रदेश	78	74	0	224	224	0
27	उत्तराखंड	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
28	पश्चिम बंगाल	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
	कुल राज्य	**4204**	**1747**	**238**	**701**	**2597**	**536**
29	अं.औरनि .द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32	दमण और द्वीव	0	0	0	0	0	0
33	दिल्ली संघ शासित	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
34	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल संघ शासित	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

नोट: एनए का अर्थ है डाटा उपलब्ध नहीं। '**' आईपीसी के मामले भी शामिल हैं। # 'मध्यप्रदेश क्र.सं. 2 से 6 की जानकारी एकत्र नहीं करता है और क्रम सं. 1 की जानकारी वित्तीय वर्ष पर आधारित है।'

Annexure II